मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26–अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेलरोड, भोपाल.

क्रमांक / मण्डी / प्रांगण / 46 / 42 / विविध / 4569 भोपाल, दिनांक 08/ 10 / 2018

प्रति

सचिव / अध्यक्ष
कृषि उपज मण्डी समिति
..............................जिला............................(म.प्र.)

विषय :– प्रदेश की अक्रियाशील मण्डी / उपमण्डी प्रांगण को अवकाश के दिनों में निजी / सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिये निर्धारित किराये पर दिये जाने के संबंध में निर्देश।

––00––

प्रदेश की अनेक कृषि उपज मण्डी समितियो के मण्डी प्रांगण / उपमण्डी प्रांगण जिनमें कृषि उपज का विपणन कार्य नही हो रहा है, ऐसी मण्डी समितियों के प्रांगण / उपमण्डी प्रांगण अक्रियाशील है, इसके अतिरिक्त मण्डी समिति के पुराने प्रांगण जिनमें विपणन कार्य नही किया जा रहा है, के संबध में मण्डी समिति को आय प्राप्त हो सके को दृष्टिगत रखते हुये अक्रियाशील मण्डी प्रांगण / उपमण्डी प्रांगण जिसमें कृषि उपज का क्रय–विक्रय नही किया जा रहा है, अवकाश के दिनों में उक्त प्रांगण में निजी / सार्वजनिक कार्यक्रम किये जाने हेतु अनुमति मण्डी समिति प्रदान कर सकेगी, इसके अतिरिक्त पुराने मण्डी प्रांगण जिनमें कृषि उपज का क्रय–विक्रय नही हो रहा है, उन प्रांगणों में भी निजी एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

मण्डी प्रांगण / उपमण्डी प्रांगणों में निजी / सार्वजनिक कार्यक्रमों हेतु किराये पर दिये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे:–

1. अक्रियाशील मण्डी / उपमण्डी / पुराने मण्डी प्रांगणों के क्षेत्रफल को दृष्टिगत रखते हुये मण्डी समिति प्रतिदिन का किराया स्थानीय परिस्थितियों में प्रचलित शासकीय नियमानुसार एवं मण्डी बोर्ड के सहायक यंत्री / उपयंत्री से निर्धारित कराया जावेगा।
2. पानी, बिजली एवं साफ–सफाई पर होने वाला व्यय आवंटिति / आवेदक द्वारा निर्धारित किराये की राशि के अतिरिक्त देय होगा।
3. आवेदक से किराये की राशि अग्रिम के रूप में मण्डी समिति द्वारा जमा कराई जावेगी।
4. "अ" एवं "ब" वर्ग की मण्डी समितियों के लिये अमानत राशि रू.10,000 / – तथा "स" एवं "द" वर्ग की मण्डी समितियों की अमानत राशि रू. 5000 / – किराये के अतिरिक्त आवेदक से अग्रिम के रूप में जमा कराई जायेगी।
5. निजी / सार्वजनिक कायक्रमों के दौरान मण्डी समिति की संरचना की क्षति, टूट–फूट, बिजली, पानी के बकाया राशि का समायोजन कर शेष राशि 01 माह पश्चात आवेदक को वापस की जावेगी।

preeti/latter

6. निजी/सार्वजनिक कार्यक्रमों से जो आय प्राप्त होगी उसकी रसीद मण्डी समिति द्वारा जारी कर पृथक से संग्रहण पंजी संधारित की जावेगी।

7. बिजली आपूर्ति हेतु आवंटी/आवेदक द्वारा कार्यक्रम हेतु पृथक से अस्थाई कनेक्शन विद्युत मण्डल से प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा उसके भुगतान की रसीद मण्डी समिति में जमा करनी होगी।

8. कार्यालयीन परिपत्र कमांक/प्रांगण/विविध/15–16/359 भोपाल दिनांक 17.11.2015 द्वारा जारी निर्देश यथावत रहेगें।

(फैज अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कमांक/मण्डी/प्रांगण/46/42/विविध/4570 भोपाल, दिनांक 08/10/2018

प्रतिलिपि–

1. निज सचिव, मा0 मंत्रीजी सह अध्यक्ष, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. निज सचिव, प्रबधं संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. अपर/संयुक्त/उप संचालक(समस्त) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
4. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय .... (समस्त)
5. कार्यपालन यंत्री, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग .... (समस्त)

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

o/c